**कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की, दिनांकः19.06.2015 की श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से.,(से.नि.),सभापति,की अध्यक्षता में संपन्न विशिष्ट बैठक की कार्यवाही :**

1. **उपस्थिति** : संलग्न है।

डा.मनीष रंजन, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग पदेन सदस्य के अवकाश में होने की मौखिक सूचना के आधार पर उनकी अनुपस्थिति अवकाश की स्वीकृति दी गई।

2. विगत अतिविशिष्ट बैठक दिनांकः 29.05.2015 की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

3. विगत बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा उन्हें विधिवत अनुपालित पाया गया।

4. नेतरहाट विद्यालय समिति, (ने.वि.स.) की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29 मई 2015 की अतिविशिष्ट बैठक में लिए गये निर्णयोपरान्त उत्पन्न निम्नलिखित दृष्टान्तों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :

4.1 सामान्य निकाय, ने.वि.स. की बैठक दिनांकः 20.05.2015 की कार्यवाही की प्रति,प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव के ज्ञापांकः1293 दिनांकः15.06.2015, समिति कार्यालय में दिनांकः16.06.2015 को प्राप्त हुई। उक्त बैठक की कार्यवाही के अन्यान्य मद सं.11(ड.) में अभिलिखित निर्णय से सदस्यों को अवगत कराया गया। अभिलिखित निर्णय के सर्वथा त्रुटियुक्त तथा भ्रामक होने के कारण उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों (सर्वश्री नरेन्द्र भगत, एच.के.पी.सिन्हा तथा डा. अशोक कुमार चौधरी) द्वारा अध्यक्ष सामान्य निकाय, ने.वि.स. को वर्णित त्रुटियुक्त निर्णय के तत्काल संशोधन किये जाने संबन्धित लिखित अनुरोध से भी अवगत कराया गया (पत्रों की छायाप्रतियां अनुलग्न)।

4.2 सामान्य निकाय के तीन सदस्यों (उपुर्यक्त कंडिका 3.1) के पत्रों के अवलोकनोपरान्त,संदर्भित बैठक दिनांकः 20.05.2015 के अन्यान्य मद सं.11 (ड.) में अभिलिखित निर्णय, निम्नलिखित कारणों के आधार पर, भ्रामक तथा सर्वथा त्रुटियुक्त - स्वरूप चिन्हित किये जाने का निर्णय लिया गया;

(क) विषयान्तर्गत मुद्दा वस्तुतः कार्यकारिणी समिति के तत्संबंधी निर्णयों के परिवादस्वरूप (मौखिक अपील आवेदनों सदृश) प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा उक्त बैठक में उठाया गया। 'समिति' नियमावली के अधीन कार्यकारिणी समिति,ने.वि.स. के आदेशों के संदर्भ में सामान्य निकाय, ने.वि.स. अथवा प्रशासी मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड 'अपीलीय प्राधिकार' के रूप में अधिकृत या चिन्हित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा नेतरहाट विद्यालय समिति के गठन के उपरान्त 'समिति' की स्वायत्तता अक्षुण्ण बनी रहे, इसी आशय के मूलमंत्र तथा मौलिक सिद्धांत का अनुसरण करते हुए समिति नियमावली निरूपित है।

(ख) उपर्युक्त आलोक में, सामान्य निकाय,ने.वि.स. का 'कथित' इस आशय का निर्णय कि प्राचार्य सहित अन्य कार्मिकों के परीक्ष्यमान अवधि विस्तारण के कार्यकारिणी समिति के निर्णय, तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने का फैसला लिया गया, सर्वथा असंगत तथा without jurisdiction (क्षेत्राधिकार से परे) ही माना जाएगा।

(ग) सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु तो यह है कि प्राचार्य द्वारा सरसरी तौर पर उठाया गया उपर्युक्त मुद्दा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया; विशेषकर इस आशय का निर्णय जिसे कार्यवाही में दर्ज किया गया है, कतई नहीं लिया गया था।

4.3 ने.वि.स. के सामान्य निकाय की उक्त बैठक के विभिन्न मदों सहित अन्यान्य मद सं.11(ड.) दिनांकः 20.05.2015 को अभिलिखित व अनुमोदित निर्णय के क्रम में, उसी दिन अर्थात् दिनांकः 20.05.2015 को ही मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा मंत्री–सह–अध्यक्ष,सामान्य निकाय, ने.वि.स. के हस्ताक्षर से निर्गत निम्नलिखित तीन आदेशों की ओर कार्यकारिणी समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया। वे आदेश निम्नवत् हैं :

(क) नेतरहाट विद्यालय में नवनियुक्त प्राचार्य, श्री बिमलांशु शेखर मल्लिक की सेवा संपुष्टि आदेश – मा.सं.वि.वि. ज्ञापांक :197C दिनांकः 20.05.2015

(ख) नेतरहाट विद्यालय में नियुक्त प्रशासनिक पदाधिकारी श्री सुहर्ष कुमार की सेवा संपुष्टि आदेश – मा.सं.वि.वि. ज्ञापांक :197B दिनांकः 20.05.2015

(ग) नेतरहाट विद्यालय में नियुक्त 8(आठ) शिक्षकों की सेवा संपुष्टि आदेश – मा.सं.वि.वि. ज्ञापांक :197A दिनांकः 20.05.2015

4.4 उपर्युक्त तीनों आदेश, निम्नलिखित कारणों के आधार पर, कार्यकारिणी समिति के स्तर पर कदाचित अनुवर्त्ती अनुपालनात्मक कार्रवाई हेतु स्वीकार्य नहीं माने जाने का निर्णय लिया गया :

**(i)** समिति नियमावली के **नियम 20 – कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य के उपनियम (ग)** के अधीन संस्था के अधिकारियों एंव कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त्ते इत्यादि विषय कार्यकारिणी समिति को आवंटित है।

**(ii)** ''समिति'' की नियुक्ति, सेवा शर्त्त एवं अनुशासन नियमावली 2011 के Chapter II के नियम 4 में प्रावधानानुसार प्राचार्य के नियुक्ति प्राधिकार के रूप में कार्यकारिणी समिति को यह कार्य दायित्व सुपुर्द हैं।

**(iii)** उसी प्रकार शिक्षकों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां, **'नियुक्ति सेवाशर्त्त एवं अनुशासन नियमावली 2011' के Chapter II के नियम 5 (B)** में यह प्रावधान है कि कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त प्राचार्य द्वारा उनकी नियुक्तियां की जानी है। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षकों के नियुक्ति पदाधिकारी प्राचार्य नहीं है। किन्तु इस तथ्य से इतर सामान्य निकाय की बैठक 20.05.2015 के अन्यान्य मद संख्या 11(ड.) के कथित निर्णय में, अन्य बातों सहित, प्राचार्य को शिक्षकों के नियुक्ति पदाधिकारी के रूप में इंगित किया जाना, प्रावधानानुकूल नहीं है। वस्तुतः प्रावधानानुसार, विद्यालय शिक्षकों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति प्राधिकार कार्यकारिणी समिति है।

**(iv)** उक्त निर्णय पर अनुवर्त्ती कार्रवाई करते हुए तत्सम्बन्धी तीन आदेश (उपर्युक्त कंडिका 4.3: क,ख,ग) उसी दिन, अर्थात् 20 मई 2015 को ही, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग–सह–अध्यक्ष, ने.वि.स. के हस्ताक्षर से मानव संसाधन विकास विभाग के सौजन्य से निर्गत कराये गये। यह भी अवगत कराया गया कि सरकार के निर्णय भी माननीय मंत्री के हस्ताक्षर से निर्गत नहीं किये जाते हैं, जबकि निर्णय खुद सरकार के रूप में माननीय मंत्री द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार, प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव के स्तर पर दायित्व निर्वहन में गंभीर चूक हुई है।

सरकारी कार्यालयों तथा संलग्न संस्थानों में अपनायी जा रही प्रक्रिया तथा पद्धति के अनुसार उपर्युक्त आशय के तीनों आदेश, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए निर्गत नहीं है। नेतरहाट विद्यालय समिति के स्वायत्तशासी संस्था के रूप में गठनोपरान्त सभी प्रकार के कार्यालय कार्यदायित्व 'समिति' कार्यालय को सुपुर्द है।

5. पूरे प्रकरण में (उपर्युक्त कंडिका 4.2; 4.3 – क, ख, ग तथा 4.4 – (i) (ii) (iii) (iv)) प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. (श्री मल्लिक) के दायित्व निर्वहन, कृत्य व आचरण को समिति नियमावली के प्रावधानों के अधीन सर्वथा अनपेक्षित, अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं अनुचित पाया गया। श्री मल्लिक के वर्णित कृत्य व आचरण को प्राचार्य नेतरहाट विद्यालय के पद पर अपनी नियुक्ति तिथि पर कार्यकारिणी समिति के सभापति के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय एकरारनामा दिनांकः01.10.2013 की कंडिकाओं – 2, 5, 6 तथा 9 में विहित शर्त्तों के उल्लंघन पाया गया।

6. वर्णित पृष्ठभूमि में, श्री मल्लिक के प्राचार्य नेतरहाट विद्यालय के पद पर दिनांकः01.10.2013 के योगदान उपरान्त, आज की बैठक की तिथि 19 जून 2015 (लगभग 1 वर्ष 8.5 माह) की कार्यावधि में निर्वहित उनके performance से संबंधित तैयार किया गया Synopsis (संक्षिप्त विवरण) (प्रतिलिपि अनुलग्न) इस बैठक में प्रस्तुत किया गया, पढ़ा गया। विवरण में वर्णित सभी बिन्दुओं की बिन्दुवार सांगोपांग समीक्षा उपरान्त बैठक में गठित मंतव्य निम्नानुसार अंकित किए गये।

6.1 कार्यकारिणी समिति के प्रारंभ से लेकर अबतक सतत् मार्गदर्शन, निदेश एवं आदेश के बावजूद श्री मल्लिक समिति नियमावली के प्रावधानों तथा सरकारी संस्थानों में अपनाई जा रही पद्धति तथा कार्यालय – कार्यविधि से अपने आप को भलीभांति परिचित तथा भिज्ञ किये जाने में, अपेक्षा के अनुरूप, सफल नही रहे हैं। उपर्युक्त कंडिका 5 में उल्लिखित बातें, प्राचार्य श्री मल्लिक की इस कमी की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए दीख पड़ते हैं। साथ ही, प्रावधानानुसार, अपने नियंत्री – प्राधिकार अर्थात् कार्यकारिणी समिति के प्रति उनकी आस्था व कर्त्तव्यनिष्ठा में स्पष्ट रूप से कमी परिलक्षित होती है।

6.2 प्राचार्य श्री मल्लिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांकः 20.05.2015 – कार्यवाही – अन्यान्य मद सं.11(ड.) में अभिलिखित इस बिन्दु पर गलतबयानी के दोषी दीख पड़ते हैं जिसमें कहा गया कि प्रावधानुसार (क) परीक्ष्यमान अवधि विस्तारण का कोई प्रावधान नहीं हैं; तथा (ख) परीक्ष्यमान 1 वर्ष अवधि समापन उपरान्त आगामी 3 माह के अन्दर सेवा सम्पुष्टि संसूचन किंचित सामान्य व औपचारिक प्रकिया है।

वस्तुतः, प्रशासी पदाधिकारी सहित सभी शिक्षकों की परीक्ष्यमान 1 वर्ष अवधि मार्च 2014 में पूरी होने के उपरान्त कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांकः12.05.2014 (कार्यसूची मद सं. 5), बैठक दिनांकः03.09.2014 (कार्यसूची मद सं. 1(viii)) तथा बैठक दिनांकः 11.12.2014 (कार्यसूची मद सं. 6(i)) द्वारा प्रतिवेदक पदाधिकारी प्राचार्य को निदेश व स्मारित किया गया कि सभी नवनियुक्त कार्मिकों के प्रतिवेदन, अलग–अलग (सामूहिक रूप से नहीं) समर्पित किए जाये। अंततः, अत्यधिक विलम्ब से, मार्च 2015 में नवनियुक्त सभी कार्मिकों के परीक्ष्यमान अवधि के प्रतिवेदन तथा स्वंय प्राचार्य के प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति को समर्पित किए जा सके।

अतएव, सामान्य निकाय की उक्त बैठक की कार्यवाही; अन्यान्य मद सं. 11(ड.) में, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह अभिलिखित किया जाना कि 1 वर्ष की परीक्ष्यमान अवधि पूर्ण होने के अगले 3 महीने के अन्दर सेवा सम्पुष्टि संबंधी निर्णय का संसूचन किया जाना है – वस्तुस्थिति को पूर्णता में प्रस्तुत करता हुआ नही दीख पड़ता हैं।

6.3 प्राचार्य के स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांकः 3 मार्च 2015 आधारित सभापति, कार्यकारिणी समिति द्वारा अभिलिखित अभ्युक्तियां दिनांकः 30 मार्च 2015 जिनके आधार पर प्राचार्य की परीक्ष्यमान अवधि विस्तारण का संसूचन किया गया, के उत्तर स्वरूप उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुत्तरदायित्वपूर्ण, लेखन में असंयमित भाषा, अमर्यादित शब्दों के उपयोग, अभ्यावेदन की अंतिम कंडिका में कार्यकारिणी समिति के प्रति अनादर सदृश दृष्टिकोण दर्शाया जाना – कुल मिलाकर इस बात का परिचायक है कि श्री मल्लिक कार्यकारिणी समिति के समय–समय पर दिये गये सुझावों तथा मार्गदर्शन के अनुसार कार्रवाई किये जाने हेतु निष्ठावान तथा उन्मुख नहीं रहे।

6.4 श्री मल्लिक ने सामान्य निकाय की दिनांकः 20.05.2015 की बैठक में निभायी गई कपटपूर्ण भूमिका (उपयुक्त कंडिकाः 4.1, 4.3 तथा 4.4) के फलस्वरूप एक प्रकार से प्रशासी विभाग तथा समिति के मध्य जानबूझकर अनावश्यक संशय एवं टकराव की स्थिति पैदा कर दी है।

6.5 श्री मल्लिक की धीमी कार्यशैली को देखते हुए ही कार्यकारिणी समिति द्वारा जुलाई 2014 में विद्यालय के विभिन्न कार्यों को गतिशील बनाये जाने की दृष्टि से वरीयतम शिक्षक को उप प्राचार्य के रूप में प्रभार देना पड़ा।

6.6 जनवरी 2015 के अंतिम सप्ताह में कार्यकारिणी के सभापित तथा सदस्य श्री कृष्ण स्वरूप प्रसाद ने दो-तीन दिन विद्यालय प्रवास के दौरान प्राचार्य और उप प्राचार्य के साथ समीक्षा बैठक तथा स्थल निरीक्षण कर निम्नवत कतिपय निर्णय एवं निदेश दिये थे - (i) विज्ञान विषय की प्रयोगशालाओं के जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण के कार्य; (ii) विद्यालय के खेल मैदानों - टेनिस कोर्ट, बास्केट बॉल कोर्ट तथा वॉली बॉल कोर्ट - के जीर्णोद्धार तथा विकास के कार्य।

लगभग साढ़े चार माह बीत जाने के उपरान्त भी वर्णित कार्यों हेतु कोई पहल नहीं की गई है, जबकि विद्यालय के वर्षाकालीन अवकाश अवधि, 2015 में इन कार्यों को कराये जाने का लक्ष्य विद्यालय प्रशासन को संसूचित किया गया था।

6.7 विगत 27-28 मई 2015 तथा 11-12 जून 2015 को विद्यालय के कुछेक छात्रों द्वारा अनुशासनहीन कार्य में संलिप्त होने की अत्यंत विचलित करने वाली सूचना है। उक्त तिथियों पर, पहले तो छात्रों द्वारा प्रश्नपत्रों की परीक्षा - कक्ष से चोरी तथा उसके बाद की घटना में कतिपय छात्रों द्वारा गणित शिक्षक श्री सतीश तिर्की के शिक्षक - कक्ष में ताला तोड़कर घुसने तथा महत्वपूर्ण पुस्तकों तथा कागजात की चोरी की घटनाएं हुईं। इन मामलों में प्राचार्य द्वारा अपेक्षित त्वरित कार्रवाई, प्रथम घटना दिनांकः 27-28 मई'15 उपरान्त नहीं की गई, परिणाम स्वरूप, छात्रों की अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में वे विफल रहे तथा दुबारा छात्रों ने अनुशासन भंग करने का दुस्साहस किया। उप प्राचार्य द्वारा चोरी की घटना की त्वरित जांच की अनुशंसा तथा प्राचार्य द्वारा ई-मेल से प्रेषित सभापति को तत्सम्बन्धी विवरण के आधार

पर प्राचार्य को ई-मेल द्वारा शीघ्र इसकी जांच कराकर समुचित कार्रवाई के निदेश के बावजूद उनके स्तर पर कृत कार्रवाई की कोई सूचना नहीं हैं। इस घटना से आहत होकर श्री सतीश तिर्की ने दिनांक 13 जून 2015 को अपने पद से त्याग पत्र भी समर्पित किया है जो 'समिति' के लिए अत्यंत चिन्ता का विषय है विशेषकर इस कारणवश कि प्राचार्य ने श्री तिर्की को उत्तम कोटि के शिक्षक के रूप में प्रतिवेदित किया है।

7. ऊपर की कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों से यह स्वतः बोध होगा कि प्राचार्य श्री मल्लिक विद्यालय की स्थापित परंपरा तथा वर्तमान आवश्यकताओं को ग्रहण करने के प्रति प्रायः उदासीन रहे हैं, फलस्वरूप विद्यालय प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में सुधार एंव प्रगति के कार्यों में अपना योगदान दिये जाने में वे बिल्कुल असफल रहे हैं। विद्यालय प्राचार्य के तौर पर अच्छे प्रशासक तथा अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता सिद्ध किये जाने में श्री मल्लिक विफल रहे है। प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय के पद के लिए श्री मल्लिक की योग्यता अत्यंत संदिग्ध है; इस प्रतिष्ठित पद पर 5 वर्ष की अनुबंध अवधि तक बने रहने हेतु उन्होंने अपना आचरण, कृत्य तथा कार्यशैली इस लायक अबतक नहीं दर्शाया है जिससे कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. आश्वस्त व संतुष्ट हो सके।

8. उपर की कंडिकाओं में दर्ज मंतव्यों / निर्णयों के साथ पठित प्रस्तुत Synopsis (संक्षिप्त विवरण) में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गये :

8.1 नेतरहाट विद्यालय के नवनियुक्त (परीक्ष्यमान) प्राचार्य श्री बिमलांशु शेखर मल्लिक उनके परीक्ष्यमान अवधि का performance असंतोषप्रद होने तथा उनके कतिपय अद्यतन कृत्य व आचरण (उपर्युक्त कंडिकाएं : 4.2 – (क) (ख) (ग); 4.3 (क) (ख) (ग); 4.4 (i) (ii) (iii) तथा (iv)) को कार्यकारिणी समिति के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय एकरारनामा दिनांकः 01.10.2013 की कंडिका 2, 5, 6 तथा 9 में विहित शर्त्तों के उल्लंघन के दोषी पाये गये हैं। इन कारणों के आधार पर, तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा Terminate (समाप्त) की जाय।

8.2 उपर्युक्त एकरारनामा दिनांकः 01.10.2013 की कंडिका 10 में वर्णित शर्त्त का अनुपालन साथ-साथ किए जाने हेतु विद्यालय कार्यालय / बैंक मैंनेजर

द्वारा तत्काल श्री मल्लिक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेतरहाट शाखा में संधारित बचत खाते में, विगत माह – मई 2015 – में भुगतान की गई वेतन + अन्य भत्तें के समतुल्य राशि का भुगतान (Credit) कर दिया जाय।

8.3 उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप नेतरहाट विद्यालय के प्राचार्य के रिक्त पद पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में, अगले आदेश तक, विद्यालय के उप प्राचार्य, श्री राम नरेश सिंह कार्यरत रहेंगे।

सहधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23/6/2015
(नागेन्द्र नाथ सिन्हा)
सदस्य

23.6.2015
(नरेन्द्र भगत)
सभापति

23/06/2015
(अरूण कुमार सिंह)
सदस्य

23.06.2015
(अमलेन्दु शेखर मित्रा)
सदस्य

23/6/2015
(कृष्ण स्वरूप प्रसाद)
सदस्य

# नेतरहाट विद्यालय समिति

कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की, दिनांक 19.06.2015 को आहूत विशिष्ट बैठक में उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

| क्र० | नाम | पता | कार्यकारिणी समिति में धारित पद | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री नरेन्द्र भगत, भा०प्र०से० (सेवा निवृत्त) | अग्रवाल नर्सिंग होम के सामने बरियातू रोड, राँची | सभापति | 19.6.2015 |
| 2. | श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, भा०प्र०से० | प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची | सदस्य | |
| 3. | डा. मनीष रंजन भा०प्र०से० | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची | सदस्य | |
| 4. | श्री कृष्ण स्वरूप प्रसाद | 184/सी० 2, हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी, राँची | सदस्य | 19/6/2015 |
| 5. | डा० अमलेन्दु शेखर मित्रा | मातृछाया, दिव्यायन के दक्षिण, मोरहाबादी, राँची | सदस्य | 19.06.2015 |
| 6. | श्री अरूण कुमार सिंह, उप सचिव, वित्त विभाग | वित्त विभाग का प्रतिनिधि, प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य। | सदस्य | 19/06/2015 |

अनुलग्नक : 1

# नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,पुर्वा,रांची–834004)

पत्रांक :66 गोपनीय तत्काल रॉची,दिनांकः17.06.2015

प्रेषक :–

श्री नरेन्द्र भगत,भा.प्र.से.(से.नि.)
सदस्य, सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति,रांची।

सेवा में,

डा.नीरा यादव,
अध्यक्ष,सामान्य निकाय,ने.वि.स.
–सह–मंत्री, मा.सं.वि.वि.,
झारखण्ड सरकार, रांची।

विषयः– दिनांकः 20.05.2015 को सामान्य निकाय, ने.वि.स. की बैठक की कार्यवाही की मद सं.11 अन्यान्य (ड.) में अभिलिखित निर्णय के दोष पूर्ण होने सम्बन्धी सूचना एवं तत्सम्बन्धी संशोधन हेतु अनुरोध के सम्बन्ध में।

महोदया,

प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. के ज्ञापांक जी–59/ने.वि./प्रा./2015–1293 दिनांकः15.06.2015 द्वारा सामान्य निकाय की उक्त बैठक अन्यान्य मद सं.11(ड.) का 'कथित' निर्णय निम्नवत् संसूचित है :–

"विमर्शोपरांत,कर्मचारी तथा विद्यालय हित में कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त वर्णित उपदेष्टा सहित 8 शिक्षकों, प्रशासनिक पदाधिकारी तथा प्राचार्य की परीक्ष्यमान अवधि के विस्तारीकरण संबंधी निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का फैसला लिया गया तथा वर्णित सभी 10 कर्मियों की सेवा संपुष्टि उनकी योगदान तिथि से 1 वर्ष के पूर्ण होने की तिथि से करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में उपदेष्टा सहित 8 शिक्षकों तथा 1 प्रशासनिक पदाधिकारी की सेवा संपुष्टि संबंधी पत्र सामान्य निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य के माध्यम से निर्गत किया जाएगा तथा सभी को इस आशय की संसूचना प्राचार्य (नियुक्ति पदाधिकारी) भी अपने स्तर से भी प्रेषित करेंगे। प्राचार्य की सेवा संपुष्टि संबंधी पत्र सामान्य निकाय की अध्यक्ष अपने स्तर से उन्हें सीधे प्रेषित करेंगी"।

2. विनम्रतापूर्वक इस विषय पर ध्यान आकृष्ट करना है कि उपर्युक्त आशय का निर्णय सामान्य निकाय की दिनांकः20.05.2015 की बैठक में लिया नहीं गया था। प्राचार्य,प्रशासी पदाधिकारी, उपदेष्टा तथा आठ शिक्षकों – सभी नवनियुक्त – की परीक्ष्यमान अवधि विस्तारण विषयक कार्यकारिणी समिति के निर्णय का मुद्दा प्राचार्य द्वारा उक्त बैठक में उठाया गया था। मैंने बैठक में उपस्थित अध्यक्ष सहित सदस्यों को इस तथ्य से अवगत कराया था कि उक्त सभी नवनियुक्त कार्मिकों के

वर्णित विषयक सम्बन्धी अभ्यावेदन 10 मई 2015 को कार्यकारिणी समिति को समर्पित है तथा उनपर समुचित निर्णय आगामी बैठक में लिये जा सकेंगे।

3. पूरी बातों को सुनने के बाद अध्यक्ष के आसन का इस आशय का मात्र परामर्श था कि समिति तथा विद्यालय परिवार एकजुटता दर्शाते हुए विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर तथा उन्मुख हों। इस विषय पर, उक्त परामर्श के अतिरिक्त, बैठक में अन्य कोई चर्चा भी नहीं हुई तथा इस प्रकार अभिलिखित निर्णय में वर्णित सारी बातें सर्वथा असत्य हैं।

4. बैठक उपरांत कुछ दिनों बाद, मैंने अध्यक्ष, ने.वि.स. को संबोधित पत्र सं. 51 दिनांक:25.05.2015 द्वारा 'समिति नियमावली' से परे प्राचार्य- सह-सदस्य सचिव के उक्त गलत कृत्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह आग्रह किया था कि एतदर्थ प्राचार्य से कारण पृच्छा हेतु भवदीय स्तर से कार्यकारिणी समिति को आदेश देने का विचार किया जाय। सहज प्रसंग हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

5. वर्णित स्थिति में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष को भ्रमित किया गया तथा बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिये गये उपर्युक्त परामर्श से सर्वथा भिन्न निर्णय अभिलिखित करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया गया। कहना न होगा कि निजी सेवा सम्बन्धी मामला सहित अन्य कार्मिकों के सदृश मामलों में नाजायज लाभ लिए जाने की दृष्टि से, समिति नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल, अनैतिक कृत्य किये जाने से भी प्राचार्य ने नहीं परहेज किया।

6. अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में उपर्युक्त बैठक के अन्यान्य मद सं. 11(ङ.) में अभिलिखित निर्णय तत्काल विलोपित करते हुए उसके स्थान पर अध्यक्ष के यथा उपर्युक्त परामर्श को अभिलिखित किये जाने का कृपया आदेश दिया जाय।

अनुः यथोपरि (1)

विश्वासभाजन

17.6.2015

(नरेन्द्र भगत)
सदस्य,सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति,
रांची।

पुनश्चः

प्रासंगिक बैठक दिनांकः 20 मई, 2015 को। गठित व अनुमोदित कार्यवाही के कुछेक अन्य मदों के संदर्भ में भी अभिलिखित निर्णयों में कतिपय त्रुटियां दीख पड़ती हैं। अलग से, कुछ दिनों बाद, उनके संशोधनार्थ प्रस्ताव समर्पित किए जा सकेंगे।

17.6.2015

(नरेन्द्र भगत)

# नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)

गोपनीय

महत्वपूर्ण / तत्काल

पत्रांक :51 रांची,दिनांक :25.05.2015

प्रेषक :–

नरेन्द्र भगत,भा.प्र.से.(से.नि.)
सदस्य, सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति,
रांची – 834004

सेवा में,

(श्रीमती) डा. नीरा यादव
अध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति,
एवं मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार,रांची – 834004

विषयः–नेतरहाट विद्यालय समिति (ने.वि.स.) के सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 20.05.2015 में 'समिति नियमावली' के प्रावधानों से परे घटित कतिपय असामान्य दृष्टांतों की ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः–उक्त बैठक की कार्यसूची की मद सं. 11 : अन्यान्य – अध्यक्ष की अनुमति से।

महोदया,

यह पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा ने.वि.स. के सामान्य निकाय के सदस्य के रूप में आपको संबोधित है; उपर्युक्त बैठक में एक सदस्य के रूप में मेरी सहभागिता रही, अतएव ने.वि.स. की कार्यकारिणी समिति के सभापति के तौर पर इसे कृपया न लिया जाय। मात्र द्वैत भूमिका / प्रभार होने के कारण यह पत्र समिति कार्यालय, रांची के सौजन्य से निर्गत है।

2. प्रथमतः, उपर्युक्त बैठक के सार्थक, परिणाम – जनित, विकासोन्मुख तथा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हेतु अध्यक्ष के आसन को नमन तथा साधुवाद। लगभग 2 घंटे तक चली उक्त वार्षिक बैठक में कार्यसूची के सभी मदों पर

संगोपांग विचार कर समुचित व त्वरित निर्णयों को बैठक की उत्तम उपलब्धि स्वरूप गणना की जायगी।

3. किन्तु साथ ही, उक्त बैठक के अत्यन्त कुशलतापूर्वक संचालन की पृष्ठभूमि में कतिपय असामान्य कृत्यों / दृष्टांतों को, प्रशासनिक दृष्टि से किंचित अनदेखा नही किया जा सकता, अतएव यह पत्र। वे कृत्य / दृष्टांत, मेरी दृष्टि में, निम्नवत हैं :

3.1 प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. की भूमिका संबंधित :

समिति नियमावली में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव की भूमिका, कर्तव्य व दायित्व भलीभांति निरूपित तथा वर्णित हैं। तदनुसार समिति की बैठक के कार्यसंचालन अध्यक्ष द्वारा पूर्व अनुमोदित बैठक की कार्यसूची (एजेंडा) के अनुसार उन्हें क्रमानुसार – एक के बाद एक – अध्यक्ष एवं सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का दायित्व है, वशर्ते कि अपवाद स्वरूप इस हेतु आसन की ओर से अन्यथा निदेश न हो; साथ ही, लिये गये निर्णयों को नोट किये जाने का दायित्व सदस्य सचिव का है। 20 मई 2015 की उक्त बैठक में, प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव (श्री बी.एस. मल्लिक) द्वारा दायित्व निर्वहन में, स्थापित प्रक्रिया एवं पद्धति के अनुसरण में विचलन के दृष्टांत सामने आये जो निम्नवत हैं :

**(क)** पूर्व अनुमोदित कार्यसूची की कुल मद सं. 11 के क्रमवार प्रस्तुतिकरण के क्रम में मद सं. 7 के उपरान्त, अचानक एक नया विषय **(प्राचार्य, प्रशासी पदाधिकारी तथा 8 शिक्षकों – सभी के परिक्ष्यमान अवधि विस्तारण विषयक कार्यकारिणी समिति के अद्यतन निर्णय व आदेश के विरुद्ध)** बैठक में उठाया तथा एकतरफा संवाद में वे लिप्त रहे। ऐसा कर उन्होंने बैठक की मर्यादा तथा शिष्टाचार का उल्लंघन किया। स्थापित प्रक्रिया व पद्धति के अनुसार इसे कार्यसूची की मद सं. 11 : अन्यान्य मद में अध्यक्ष की अनुमति उपरान्त प्रस्तुत किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, प्रावधानानुसार, श्री मल्लिक अपने दायित्व निर्वहन में निम्नलिखित कारणों से गलत एवं दोषी दीख पड़ते है :

**(i)** कार्यसूची की मद सं. 7 के समापन के उपरान्त मद सं. 8 के प्रस्तुतिकरण के पूर्व अचानक अवरोध की स्थिति उत्पन्न हुई।

**(ii)** इस प्रकार, अध्यक्ष के समक्ष बैठक के विधिवत, नियमानुसार, संचालन में गतिरोध तथा अनावश्यक असुविधा की स्थिति उत्पन्न होती दीख पड़ी।

**(iii)** उठाया गया विषय, प्रावधानानुसार, पूर्णतः कार्यकारिणी समिति के कार्य व दायित्व से संबंधित है, अतएव प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव जो कार्यकारिणी

समिति के साथ भी संलग्न हैं, के स्तर पर उसे सामान्य निकाय के समक्ष रखना सर्वथा अनावश्यक व अवांछित था; विशेषकर इस कारणवश कि तत्संबंधी उनके निजी व अन्य पदाधिकारी सहित संबंधित शिक्षकों के अभ्यावेदन, दिनांक 10 मई 2015 को कार्यकारिणी समिति के समक्ष समर्पित किये गये थे। इस प्रकार, इस कृत्य हेतु प्राचार्य (श्री मल्लिक) नियुक्ति पूर्व हस्ताक्षरित द्विपक्षीय एकरारनामा दिनांक 01.10.2013 की कंडिका संख्या 05, 06 तथा 09 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन किये जाने के प्रत्यक्षतः दोषी दीख पड़ते हैं।

(iv) वैसे भी देखा जाय तो सेवा संबंधी निजी मामलो में, सक्षम स्तर पर प्रतिकूल निर्णय / आदेश के विरुद्ध सामान्य निकाय की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संबंधित पदाधिकारी. (क्रमशः प्राचार्य एवं प्रशासी पदाधिकारी) सभाकक्ष में निरन्तर उपस्थित रहे, जबकि प्रावधानानुसार व स्थापित परिपाटी के अनुसार उस चर्चा के दौरान विन्रमतापूर्वक सभाकक्ष से बाहर रहने का अनुरोध उन्हें स्वतः किया जाना चाहिए था।

(v) कुल मिलाकर, इस प्रकरण में प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव, श्री मल्लिक अपने दायित्व निर्वहन के क्रम में, अपने पद एवं स्थिति के दुरुपयोग; अध्यक्ष को बैठक संचालन में अपेक्षित सहयोग में कमी तथा अपने निजी एजेंडा को Push करते हुए दीख पड़े। इस प्रकार अपनी नियुक्ति विषयक द्विपक्षीय एकरारनामा की कतिपय शर्तों (उपर्युक्त कंडिका 3 (क) (iii) ) के उल्लंघन किये जाने के प्रत्यक्षतः दोषी दीख पड़ते हैं।

4. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित विवरण एवं तथ्यों के आलोक में प्रस्ताव है कि :

प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव, श्री मल्लिक के वर्णित कृत्य (उपर्युक्त कंडिका 3(क) (i) से (iv) ) के आलोक में, द्विपक्षीय एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन हेतु (उपर्युक्त कंडिका 3(क) (iii) ) श्री मल्लिक को 'कारण पृच्छा सूचना' तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कार्यकारिणी समिति को तत्संबंधी आदेश भवदीय स्तर से दिये जाने का कृपया विचार किया जाय।

विश्वासभाजन,

25. 5. 2015

(नरेन्द्र भगत)
सदस्य,सामान्य निकाय,
गेतरहाट विद्यालय समिति।

अनुलग्नक : 2

रांची,दिनांक :17.06.2015

प्रेषक :

एच.के.पी.सिन्हा,
(अवकाश प्राप्त शिक्षक, ने.वि.)
सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति,
रांची।

सेवा में,

माननीय डा. नीरा यादव,
अध्यक्ष, सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति,
झारखण्ड सरकार,रांची।

विषय : दिनांक : 20.05.2015 को नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही से सम्बन्धित।

महोदया,

आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति एवं अध्यक्षता में दिनांक 20.05.2015 को रांची में नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई थी। उस बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति आज दिनांक 17 जून 2015 को रजिस्टर्ड – पोस्ट से नेतरहाट के प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव के द्वारा प्राप्त हुई है।

उपर्युक्त बैठक में निर्णय लिये गये कार्यवाही की मद संख्या 11 अन्यान्य (ङ.) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इसमें वर्णित किया गया है कि कार्यकारिणी समिति द्वारा **"उपदेष्टा सहित 8 शिक्षकों, प्रशासनिक पदाधिकारी तथा प्राचार्य की परीक्ष्यमाण अवधि के विस्तारीकरण संबंधी निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का फैसला लिया गया तथा वर्णित सभी 10 कर्मियों की सेवा संपुष्टि उनकी योगदान तिथि से 1 वर्ष के पूर्ण होने की तिथि से करने का निर्णय लिया गया"**।

जहां तक मुझे याद है, सामान्य निकाय की बैठक में नेतरहाट से सम्बन्धित परीक्ष्यमान शिक्षक, उपदेष्टा, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं प्राचार्य की सेवा सम्पुष्टि से सम्बन्धित निर्णय नहीं लिया गया था। वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यसूची (Agenda) में भी इसका मुख्य उल्लेख नहीं था।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक के अन्यान्य मद संख्या 11 (ङ.) के कथित निर्णय को अभिलम्ब निरस्त (रद्द) करने की कृपा की जाय।

कृ.पृ.उ.

सेवा संपुष्टि करने के पूर्व इन सभी अधिकारियों एवं शिक्षकों के गोपनीय A.C.Rs (Annual Confidential Reports), (Controlling officer का) इनके इस अवधि में किये गये कार्य का Report, एक साल के अन्दर इनका Performance आदि पर विचार करने के बाद ही विधिवत निर्णय होना चाहिए।

इस ओर आपका ध्यान अवश्य आकृष्ट करना चाहूँगा कि नेतरहाट विद्यालय झारखण्ड राज्य की एक प्रतिष्ठमान संस्था है, जिसका नाम देश एवं विदेशों में भी प्रख्यात है। आपकी अध्यक्षता में इसे और ऊपर उठाना है।

सादर एवं सम्मान-सहित, आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

(एच.के.पी.सिन्हा) 18/6/15
सदस्य,सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति,
रांची।

कृ.पृ.उ.

अनुलग्नक 3

**Dr. Ashok Kumar Choudhary**
*Professor,*
Plant Physiology of Growth & Dev., Biotechnology
University Department of Botany,
Ranchi University, Ranchi - 834 008

Phone : 0651 - 2233769 (O)
0651 - 2500635 (R)
Mobile : 94301-14631
e-mail : ashokchoudhary_ru@yahoo.co.in
N.B.House, Shukla Colony, Hinoo, Ranchi-834002

रांची,दिनांक :18.06.2015

प्रेषक :

डा.अशोक कुमार चौधरी,
सदस्य, सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति,
रांची।

सेवा में,

डा.नीरा यादव,
अध्यक्ष,नेतरहाट विद्यालय समिति,
-मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार,रांची।

विषय : सामान्य निकाय, ने.वि.स. की, दिनांक 20.05.2015 की बैठक की कार्यवाही की अन्यान्य मद संख्या 11(ड.) में अभिलिखित त्रुटियुक्त निर्णय के संशोधन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव द्वारा प्रेषित ज्ञापांक : दिनांकः 15.06.2015 द्वारा उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही की प्रति मुझे 17.06.2015 को प्राप्त हुई।

कार्यवाही के अन्यान्य मद संख्या 11(ड.) में अभिलिखित निर्णय को पढ़कर मुझे घोर आश्चर्य हुआ है, चूंकि वर्णित आशय का निर्णय उक्त बैठक में लिया ही नहीं गया था।

तत्सम्बन्धी वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित निर्णय का विषय बैठक के पूर्व अनुमोदित कार्यसूची में दर्ज नहीं था। अतएव एतदविषयक एजेन्डा नोट (अन्य अनुमोदित कार्यसूची के विषयवार पूर्व परिचालित एजेन्डा नोट की भांति) परिचालित नहीं किया गया था। अतएव इस विषय पर विस्तृत चर्चा की संभावना नहीं थी।

जहां तक मुझे स्मरण है कि प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव द्वारा उपर्युक्त विषयक मुद्दा उठाये जाने पर एक अन्य सदस्य (श्री नरेन्द्र भगत) द्वारा उपस्थित

सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था कि, प्राचार्य सहित अन्य कार्मिकों के परीक्ष्यमान अवधि विस्तारण के कार्यकारिणी समिति के निर्णय के विरूद्ध लगभग 8–10 दिनों पूर्व समर्पित, सभी अभ्यावेदन, कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ समर्पित हैं। भवदीय स्तर पर इस विषय पर विचारोपरान्त, एक रोचक लघु कथा सुनाते हुए, यह परामर्श दिया गया कि समिति तथा विद्यालय परिवार के मध्य, विद्यालय हित में, एकजुटता बनाए रखकर कार्य किये जाने की आवश्यकता है। अस्तु, यह उचित दीख पड़ता है कि उक्त बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 11(ड.) में मात्र उक्त परामर्श को ही अभिलिखित किया जाय तथा अभिलिखित कथित निर्णय को विलोपित करने का आदेश दिया जाय।

प्रसंगवश उल्लेख करना है कि प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा उठाया गया उपर्युक्त मुद्दा (अन्यान्य मद सख्या 11(ड.)) समिति नियमावली के अधीन कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य एंव दायित्व के अधीन सुपुर्द है; इस प्रकार सामान्य निकाय के कार्य एवं दायित्व के दायरे से यह पूर्णतः बाहर है। अतएव अभिलिखित उपर्युक्त कथित निर्णय को विलोपित किया जाना आवश्यक होगा; अन्यथा की स्थिति में, सामान्य निकाय की आगामी बैठक में, उक्त निर्णय की संपुष्टि के क्रम में आपत्ति दर्ज होने की स्थिति में सामान्य निकाय के समक्ष स्वभावतः अत्यन्त असहज स्थिति होगी।

विश्वासभाजन

8.6.15

(डा.अशोक चौधरी)
सदस्य,सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति,
रांची।